न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 28.06.2021

मुकदमा नं0 263/2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1.	सुआबाई बेबा नन्दसिंह		जाति जाटव निवासी बुर्जाबाडा
2.	मुन्शी	पिसरान नन्दसिंह	काचरौली तहसील हिण्डौन
3.	सन्तोष		
4.	रूपसिंह उर्फ धूपसिंह पुत्र सुक्का		जिला करौली ———— सायलान

बनाम

1.	गिर्राज	पिसरान झूरिया	जाति मीना निवासी बुर्जाबाडा
2.	रेवती		
3.	रत्तीराम		काचरौली तहसील हिण्डौन
4.	ज्ञानसिंह		
5.	मनमोहन	पिसरान रत्तीराम	जिला करौली
6.	जगमोहन		
7.	विष्णु		
8.	अंकित		
9.	चैनसिंह		
10.	राजेश पुत्र रेतीलाल		
11.	तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— गैरसायलान		

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट सायलान

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01ता 3,7,8,10

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दिनांक :– 15-9-22

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वारानी वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन जिसमें हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई हि01/2 तथा गैरसायल सं0 1 ता 10 के बुजुर्ग झूमरिया पुत्र चिरमल के 1/2 हिस्से की खातेदारी की आराजी रही है। उक्त आराजी को सायल नं04 तथा सायल नं01 के पति तथा सायलान नं02 व 3 के पिता नन्दसिंह ने दिनांक 02.07.1977 को सम्पूर्ण आराजीयात को गैरसायलान के बुजुर्ग झूमरिया पुत्र चिरमल व हुकम पुत्र नानगा जाति गुसाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2500/–रूपया में खरीद कर उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त भूमि बतौर मालिक काबिज व दखील होकर काश्त करते रहे।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी को योम खरीद से सायल नं04 तथा सायल नं01 के पति तथा सायल नं02 व 3 के पिता नन्दसिंह अपने जीवन काल में काश्त करते रहे तथा नन्दसिंह की मृत्यु के उपरान्त सायल नं0 1 ता 3 काबिज व दखील होकर सायल सं04 के साथ संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी को सायल नं01 व सायल नं02 व 3 के पिता नन्दसिंह व सायल सं.4 के खरीदने के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तकरण सायल नं04 व नन्दसिंह के हक में हुकम पुत्र नानगा के हिस्सा 1/2 का खुलकर उसका जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया। मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण झूमरिया पुत्र चिरमल के हिस्से 1/2 का नामान्तकरण नहीं खुल सका, जिसके कारण झूमरिया के विक्रयशुदा भूमि की खातेदारी झूमरिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रह गयी। मगर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमि पर योम खरीद से ही सायलान का वास्तविक भौतिक कब्जा चला आ रहा है, जिससे गैरसायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट आराजी साबिक खसरा नम्बर 1301 के हाल खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 स्थित ग्राम बुर्जाबाडा कायम हुए। मगर दौराने सेटिलमेन्ट भी झूमरिया के हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण सं0 4 तथा सायल नं01 के पति तथा सायल नं02 व 3 के पिता नन्दसिंह के नाम नहीं खुलने से राजस्व रिकार्ड में झूमरिया के नाम दर्ज रही। मग़र उक्त भूमि पर सायलान ही योम खरीद के समय से ही काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि झूमरिया पुत्र चिरमल का स्वर्गवास हो चुका है तथा गैरसायल नं01 ता 4 उसके विधिक वारिस हैं तथा नन्दसिंह पुत्र सुक्का का भी स्वर्गवास हो चुका है। सायलान नं0 1 ता 3 उसके विधिक वारिस हैं तथा नन्दसिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि पर उसके हिस्से पर सायल नं0 1 ता 3 काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में झूमरिया पुत्र चिरमल के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण सायल नं04 व नन्दसिंह के हक में नहीं खुलने से व उक्त आराजी के झूमरिया पुत्र चिरमल के नाम अंकित रहने से गैरसायल सं01 ता 4 के मन में राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त भूमि को हडपने की बदयान्ति है, जिसके लिए गैरसायल नं01 ता 4 ने अपने परिवारज़न गैरसायल सं0 5 ता 10 से साजकर उक्त भूमि से सायलान को जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है तथा राजस्व रिकार्ड में झूमरिया के स्थान पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर उसे दीगर लठैत लोगों को विक्रय कर उसका बयनामा उनके हक में पंजीकृत कराने पर आमादा हैं और इसके लिए वे आये दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 23.06.2021 को समय करीब 10 बजे का है कि सालान उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं05 प्रार्थना पत्र पर आगामी फसल के लिए सार संभाल कर रहे थे तो इतने में ही गैरसायल नं01 ता 10 मौके पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और सायलान से कहा कि इस जमीन को काश्त मत करना, इस जमीन से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पर हम काश्त करेंगे, जिस पर सायलान ने कहा कि ये जमीन तो सन् 1977 से हमारी खुरीदशुदा है और तभी से उक्त आराजीयात पर बजमाने बुजुर्गान हम काश्त करते चले आ रहे हैं, तुम्हारे बुजुर्ग इस जमीन को बेच चुके हैं, इस जमीन से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है तो गैरसायल सं01 ता 10 एकदम नाराज हो गये और सायलान को ऐलानियॉ धमकी दी कि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा हमारे बुजुर्ग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में हम अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर किसी दीगर लठैत लोगों को विकय कर उसका बयनामा पंजीकृत करा देंगे या बैंक से लोन लेकर इसे नीलाम करा देंगें तथा भूमि से तुम्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। सायलान ने गैरसायल नं01 ता 10 से ऐसा नहीं करने के लिए काफी निवेदन किया, लेकिन उक्त गैरसायलान मानने को तैयार नहीं है और अपनी हठधर्मी पर आमादा है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0स्थित ग्राम बुर्जाबाडा काचरौली तहसील हिण्डौन में कोई मजाहमत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मदाखलत ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा उक्त आराजी को रहन वय नहीं करें। सायलान को उक्त आराजीयात का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभेग करने दे तथा उक्त भूमि से सायलान को ना तो स्वंय बेदखल करें और ना ही किसी अन्य के द्वारा करावें। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायल नं011 को भी इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजी का कोई बयनामा किसी के हक में पंजीकृत नहीं करें। मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 1ता 10 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट उपस्थित आये किन्तु गैरसायल सं0 4,6,9 की ओर से कोई बकालतनामा पेश नहीं किया तथा शेष गैरसायलान की ओर से बकालतनामा पेश किया किन्तु जबाव प्रार्थना पत्र कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं करने पर दिनांक 02.08.2022 को वकील सायलान एवं वकील गैरसायलान की बहस सुनी गई।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी हुकम वगैराह बनाम नन्दसिंह वगैराह दिनांक 02.07.1977, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजीयात में गिर्राज पुत्र झूमरिया, ज्ञानवती पुत्री झूमरिया, ज्ञानसिंह पुत्र झूमरिया, रत्तीराम पुत्र झूमरिया, रेवतीलाल पुत्र झूमरिया हिस्सा बराबर हि01/2 के खातेदार काश्तकार है, इस प्रकार गैरसायल सं01 ता 4 व उनकी बहिन ज्ञानवती उक्त विवादित आराजीयात में बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है, जिससे सायलान या उनके बुजुर्गों का कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलाान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वारानी वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी झूमरिया पुत्र चिरमल हिस्सा 1/2 , नन्दसिंह रूपसिंह पि0 सूका चमार हि01/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी हुकम वगैराह बनाम नन्दसिंह वगैराह दिनांक 02.07.1977 के अनुसार खातेदार हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन, झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन– विक्रेतागण के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन को 2500/–रूपया में क्रेतागण नन्दसिंह रूपसिंह पिसरान सूखा जाति जाटव (चमार) निवासी काचरौली जरिये बिसनिया बाबा नावालिगान पिता सूखा के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेतागण नन्दसिंह आदि का करा दिया है। इस विक्रय पत्र में यह भी अंकित है कि उक्त खेत से सिवाय हम हुकम आदि के किसी का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। यह हर प्रकार के चार्जेज से भी फ्री है तथा इस खेत का हस्तातंरण जो पहिले हुआ था वो नियमानुकूल हुआ था कि जिसकी कार्यवाही जावता के लिए यह दस्तावेज तहरीर किया जा रहा है। खेत नम्बर 1301 मजकूर से हम हुकम आदि पक्षकारान का कोई वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं रहा है जो भी स्वामित्व, स्वत्व अब तक मुझ हुकम व मुझ झूमरिया को इस खेत के बाबत प्राप्त थे वो ही भविष्य में यथावत क्रेतागण नन्दसिंह आदि को प्राप्त होंगे। नन्दसिंह आदि द्वितीयपक्ष इस खेत की खातेदारी अपने पक्ष में मुरतिव करा पाने, उसे भविष्य में इच्छानुसार वहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग, ट्रांसफर करने के लिए सक्षम व्यक्ति होंगे कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को क्रेतागण के हकूकों को चेलेन्ज करने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का हक न होगा। सारांश यह है कि खसरा नम्बर 1301 वाके काचरौली के निर्विवाद रूप से अब खातेदार काश्तकार नन्दसिंह आदि हो गये हैं। भविष्य में यदि मेरे अधिकारों की त्रुटि से या मेरे किसी भी वाली वारिसान की चुनौती से उपरोक्त बिका खेत या उसका जुज केतागण के स्वामित्व, स्वत्व में से निकल जावे तो उसमें जो भी क्षति केतागण की होगी उस क्षति की पूर्ति केतागण विटा कॉस्ट मुझ हुकम पक्षकार व उसके दायदों से बसूल करने के अधिकार होंगे।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा ग्राम काचरौली के नवीन खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी झूमरिया पुत्र चिरमल हि01/2 जाति मीना सा0देह खातेदार , नन्दसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रूपसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 (लेटेस्ट) के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गिर्राज पुत्र झूमरिया हि01/10, ज्ञानवती पुत्री झूमरिया हि01/10, ज्ञानसिंह पुत्र झूमरिया हि01/10, रतीराम पुत्र झूमरिया हि01/10, रेवतीलाल पुत्र झूमरिया हि01/10 जातियान मीना सा0देह खातेदार एवं नन्दसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रूपसिंह पुत्र सुक्का हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि खातेदार हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन, झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन– विकेतागण के द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम काचरौली तहसील हिण्डौन को 2500/–रूपया में केतागण नन्दसिंह रूपसिंह पिसरान सूखा जाति जाटव (चमार) निवासी काचरौली जरिये बिसनिया बाबा नावालिगान पिता सूखा के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर केतागण नन्दसिंह आदि का करा दिया है। उक्त विक्रय पत्र में विकेता हुकम पुत्र नानगा जाति गुंसाई निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी सायल सं01 के पति व सायल सं02 व 3 के पिता नन्दसिंह व सायल सं04 रूपसिंह उर्फ धूपसिंह पुत्र सुक्का जाति जाटव हि01/2 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुकी है तथा विकेता झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी उसके नाम बदस्तूर रह गयी क्योंकि विकेता जाति से मीना हैं जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं तथा केतागण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। उक्त विक्रय पत्र में विकेता झूमरिया पुत्र चिरमल जाति मीना निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन के द्वारा अपने हिस्सा 1/2 का बेचान केतागण नन्दसिंह व सायल सं04 रूपसिंह उर्फ धूपसिंह पुत्र सुक्का जाति जाटव के हक में किया गया है वह धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से साफ जाहिर है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1301 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन सम्पूर्ण पर सायलान का कब्जा काश्त होना साबित हैं तथा सायलान उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/2 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। गैरसायल नं01 ता 4 व गैरसायल नं0 5 ता 10 का उक्त विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार से कोई हक निहित नहीं है और ना ही उनका मौके पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है क्योंकि उक्त भूमि को गैरसायलान के पूर्वज झूमरिया के द्वारा सन् 1977 में ही सायलान को बेचान कर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो उससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है जबकि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.56 है0, 2592 रकबा 0.15 है0, 2593 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायलान उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन विक्रय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली